राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

F21(15)NHM/VHSC/Part-1/16/1605 Date : 3/6/16

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी

विषयः– ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति के पुनर्गठन के सम्बध में।
संदर्भः– भारत सरकार से प्राप्त संशोधित/नवीन दिशा निर्देश के क्रम में।

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य में 7 (सात) सदस्यीय ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का गठन पूर्व में प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर किया जा चुका है। हाल ही में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति के संदर्भ में संशोधित/नवीन दिशा निर्देश प्राप्त हुऐ है जिसके अनुसार उक्त समिति में न्यूनतम 15 सदस्य होने चाहिए।

संशोधित/नवीन दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि संशोधित/नवीन दिशा निर्देशानुसार ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति का पुनर्गठन कर अधोहस्ताक्षरकर्ता पालना रिर्पोट से अवगत कराये, ताकि उक्त सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

संलग्न उपरोक्तानुसार

विशिष्ठ शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0 क0
एवं मिशन निदेशक एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव– प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव– प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव– प्रमुख सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
4. निजी सचिव–शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव–शासन सचिव, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
6. निजी सचिव–शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सहायक, विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एनएचएम।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
9. जिला कलेक्टर समस्त जिले।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त जिले।
11. परियोजना निदेशक/उप शासन सचिव/निदेशक जनस्वास्थ्य/आरसीएच/वित्त एनएचएम जयपुर।
12. निदेशक–राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर जोधपुर, उदयपुर, कोटा।
14. मुख्य अभियन्ता–जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर, जोधपुर।
15. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा।
16. परियोजना निदेशक शिशु स्वास्थ्य/मातृ स्वास्थ्य /टीकाकरण/परिवार कल्याण।
17. अभिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत——।
18. प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले।
19. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम/सलाहकार वीएचएससी/आशा/आईईसी एनएचएम।
20. जिला कार्यक्रम प्रबंधक,/ जिला लेखा प्रबंधक, /जिला आशा समन्वयक/जिला आईईसी समन्वयक, समस्त जिले।
21. सर्वर प्रभारी रूम।

निदेशक (आर.सी.एच.)

Mail ID –: notrn_nrhm@yahoo.com , co_vhc.nrhm@yahoo.in

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता, पेयजल एवं पोषण समिति के पुनर्गठन के सम्बध में नवीन दिशा निर्देश ।

1. **एक वी.एच.एस.एन.सी. में सदस्यों की न्यूनतम संख्या**
   वी.एच.एस.एन.सी में न्यूनतम 15 सदस्य होने चाहिए। इससे अधिक सदस्य भी हो सकते है।
2. **वी.एच.एस.एन.सी. की संरचना के सिद्धान्त**
   - ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों, विशेष रूप से महिला सदस्यों को नेतृत्व करने के लिए आगे लाना चाहिए।
   - स्वास्थ्य या स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेवाओं के लिए काम कर रहे सभी लोगों को शामिल होने के लिए आगे लाना चाहिए।
   - स्वास्थ्य सुविधाओं की सेवाओं को उपयोग करने वालों विशेष रूप से माताओं को स्थान मिलना चाहिए।
   - समुदाय के सभी समूहों से, विशेष रूप से गरीब और अधिक कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
   - सभी बस्तियों व टोलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
3. **कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिला होनी चाहिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व**
   उपरोक्त में एक व्यक्ति एक से ज्यादा श्रेणियों को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जैसे कि एक महिला जो एक छोटे बच्चे के साथ है उसको समिति की सदस्यता दी गई है जो दूर के टोले का भी प्रतिनिधित्व कर सकती है और साथ ही साथ वो वंचित समुदाय से भी हो सकती है।
4. **वी.एच.एस.एन.सी में किन को शामिल किया जाना है।**
   - **निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यः** उन सदस्यों को वरीयता दी जानी चाहिए जो उसी गाँव के निवासी हैं जहां वी.एच.एस.एन.सी गठित की जानी हैं वह क्षेत्र जहां निर्वाचित पंचायत नहीं है, वहाँ आदिवासी परिषद के सदस्यों पर विचार किया जा सकता है। एक पंचायत के एक से अधिक निर्वाचित सदस्यों को वी.एच.एस.एन.सी में शामिल किया जा सकता है। निर्वाचित पंचायत सदस्य प्रतिनिधियों की संख्या को वी.एच.एस.एन.सी सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई तक सीमित किया जाना चाहिए और महिला पंचायत सदस्यों को वी.एच.एस.एन.सी में वरीयता दी जानी चाहिए। ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों के सदस्य जो आमतौर पर निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हें भी वरीयता दी जानी चाहिए।
   - **आशाः** गाँव की सभी आशा, समिति में होनी चाहिए। छोटे गाँवों में प्रति वी.एच.एस.एन.सी केवल एक ही आशा होगी।
   - **सरकार की स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेवाओं के जमीनी कर्मचारी :** स्वास्थ्य विभाग की ए.एन.एम. ,महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्कूल शिक्षक को भी नियमित सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए अगर वे उस गांव में ही निवास करते हों। अन्यथा वे विशेष आमंत्रित होने के योग्य हैं। स्वयंसेवकों/ अन्य सरकारी विभागों के ग्राम स्तर के कार्यकर्ता उदाहरण स्वरूप– जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) के हैण्डपम्प मेकेनिक या मनरेगा कार्यक्रम के क्षेत्र समन्वयक, जो उस गांव में निवास कर रहे हैं, पर भी विचार किया जाना चाहिए।

Mail ID –: notrn_nrhm@yahoo.com , co_vhc.nrhm@yahoo.in

- **समुदाय आधारित संगठन** : स्वयं सहायत समूहों, वन प्रबन्धन समितियों, युवा समितियों आदि मौजूद समुदाय आधारित संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए।
- **पूर्व से मौजूद समितियाँ** : यदि वहाँ स्कूल शिक्षा, जल और स्वच्छता या पोषण पर अलग समितियाँ बनी हुई हैं तो पहला प्रयास इन समितियों को वी.एच.एस.एन.सी. के साथ एकीकृत करना होना चाहिए। यदि यह सम्भव नहीं है या जब तक यह नहीं किया गया हो, तो इन समितियों मे से प्रत्येक के प्रमुख पदाधिकारयों वी.एच.एस.एन.सी. के सदस्यों के रूप में शामिल करना चाहिए और वी.एच.एस.एन.सी. के अध्यक्ष को इन सभी समितियों में सदस्य होना चाहिए।
- **सेवा उपयोगकर्ता** : जो सार्वजानिक सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं जेसे गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माँ 3 साल तक के बच्चों की माँ और गंभीर बीमारी से ग्रसित रोगी को भी वी.एच.एस.एन.सी में स्थान मिलना चाहिए।

5. इनका चयन कैसे किया जाना चाहिए ?

सभी यचन उपरोक्त श्रेणियों और सिद्धानों को ध्यान में रख कर दिशा– निर्देशों का पालन करते हुए समुदाय द्वारा किया जायेगा। पंचायत सदस्यों के साथ ए.एन.एम., आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हर वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। विशेष रूप वी.एच.एस.एन.सी. में कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत महिलाओं का होना चाहिए एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व गाँव में उनकी जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए।

6. विशेष आमंत्रित के रूप में हम किसे बुला सकते हैं ?

सदस्यों के अतिरिक्त विशेष आमंत्रित सदस्यों की एक सामान्य श्रेणी को भी सम्मिलित किया जा सकता है जो कि समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं और जिनकी समिति में उपस्थिति एवं उनके विचार वास्तव में आवश्यक हैं। यह आमतौर पर उस गाँव के निवासी नहीं हैं, इसमें स्थानीय प्रा.स्वा. केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी, आशा फैसिलिटेटर व आशा कार्यक्रम के समन्वयक, स्वास्थ्य एवं आई.सी.डी.एस. विभाग के सुपरवाइजर, पंचायत सचित पंचायत सदस्य आदि को सम्मिलित करने के लिए बुलाया जाना चाहिए।

आदर्श रूप से चिकित्सा अधिकारी और ब्लाक विकास अधिकारी को प्रत्येक वी.एच.एस.एन.सी. की बैठक में वर्ष में कम से कम एक या दो बार जरूर शामिल होना चाहिए। आशा फैसिलिटेटर जो कि सामुदायकि प्रक्रियाओं के अन्य कार्यक्रमों के लिए भी जिम्मेदार हैं, उन्हें वी.एच.एस.एन.सी. की हर बैठक में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए।

7. वी.एच.एस.एन.सी. का अध्यक्ष कौन होगा ?

वी.एच.एस.एन.सी. की अध्यक्ष गांव की कोई महिला पंचायत प्रतिनिधि (पंच) होगी जो उसी गाँव में रहती हो इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि उस गांव से कोई महिला पंच नहीं है तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी पंच को वरीयता दी जानी चाहिए। लेकिन यह निर्णय फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रही आशा व ए.एन.एम. के साथ ग्राम पंचायत और वी.एच.एस.एन.सी. द्वारा किया जाना चाहिए।

8. सदस्य सचिव और संयोजक कौन होगा ?

वी.एच.एस.एन.सी. की सदस्य सचिव और संयोजक आशा होगी।

9. आशा को वी.एच.एस.एन.सी. का सदस्य सचिव और संयोजक क्यों बनाया जाना चाहिए ?

Mail ID –: notrn_nrhm@yahoo.com , co_vhc.nrhm@yahoo.in

- ऐसा देखा गया है कि यदि आशा को वी.एच.एस.एन.सी. के नेतृत्व की भूमिका में रखा गया तो वह बेहतर कार्य कर सकती है और वी.एच.एस.एन.सी. की सहयोगी व्यवस्था बनाने और उसकी क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- समुदाय में उसकी अच्छी स्वीकार्यता एवं अपनापन रहता है। वह ऐसी व्यक्ति है जो समुदाय के बीच से है और जो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखती है।
- वह स्वास्थ्य से सम्बन्धित मुद्दो मे शामिल रही है।
- आशा को एक सक्रिय वी.एच.एस.एन.सी. की आवश्यकता है, अपने उद्देश्यों की सफलता विशेष रूप से स्वास्थ्य प्रोत्साहन, रोकथाम और सामुदायिक एक जुटता के लिए।

10. यदि गाँव में एक से अधिक आशा हैं तो चयन कैसे करें ?

- वी.एच.एस.एन.सी. गठित होने वाले गाँव में एक अधिक आशा हैं तो उनमें से किसी एक को सदस्य सचिव और संयोजक के रूप में सर्व–सम्मति से चयन किया जाना चाहिए या सभी आशा के बीच में दो या तीन वर्ष की अवधि के बाद बारी–बारी से चयन किया जा सकता है, लेकिन यह एक स्थानीय निर्णय होगा।
- आशा फैसिलिटेटर (या ब्लॉक आशा समन्वयक) द्वारा पंच की उपस्थिति में गाँव की सभी आशा की एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए। उस बैठक में सर्व–सम्मति से उस आशा की चयन होगा जो वी.एच.एस.एन.सी. की सदस्य सचिव व संयोजक होगी।

Mail ID –: notrn_nrhm@yahoo.com , co_vhc.nrhm@yahoo.in